

पत्रांक/हडको/ल.क्षे.का./2023/
दिनांक 16.02.2023

सेवा में,

विषय: हडको क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में वार्षिक सेवा अनुबन्ध के अन्तर्गत टैक्सियों/वाहनों को किराये पर लेने हेतु ट्रेवल एजेंसियों के सूचीबद्ध करने के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना के संबंध में।

महोदय,

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हडको) आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत भारत सरकार का एक उपक्रम है।

हडको क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ आधिकारिक उपयोग के लिए टैक्सी/वाहन को किराये पर लेने हेतु अनुलग्नक - III में महत्वपूर्ण विवरण सहित विनिर्देशों के अनुसार अनुबन्ध करना चाहता है। यदि आप इच्छुक हों तो कृपया अनुलग्नक - I एवं II में अनुबन्ध के लिए अपनी कोटेशन/निविदा दिनांक 10.03.2023 को 03.00 बजे अपराह्न तक जमा कर दें। हडको द्वारा वार्षिक सेवा अनुबन्ध हेतु कोटेशन/निविदा जमा करने के संबंध में लागू निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों को भी आप कृपया नोट कर लें:-

1. हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हडको) क्षेत्रीय कार्यालय बी-1, एन.ई.-ब्लाक, द्वितीय तल, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ - 226010 को आवश्यकतानुसार टैक्सी/वाहन उपलब्ध कराना है।
2. कोटेशन को हडको क्षेत्रीय कार्यालय के स्वागत कक्ष में रखे गये निविदा बाक्स में डाला जा सकता है या डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है।
3. कोटेशन को सीलबंद लिफाफे के ऊपर 'वार्षिक सेवा अनुबन्ध के अन्तर्गत ट्रेवल एजेंसी के सूचीबद्ध हेतु निविदा' लिख कर भेजा जाना चाहिए एवं लिफाफे के बाहर अपने संगठन का नाम एवं पूर्ण पता सहित हमारी संदर्भ संख्या, समाप्ति की तिथि एवं समय का स्पष्ट रूप से उल्लेख अवश्य किया जाए।
4. तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड को अलग अलग लिफाफे में करने के बाद दोनों को सीलबंद कर बड़े लिफाफे में भेजना है।
5. तकनीकी बिड (अनुलग्नक - I) में फर्म/कम्पनी/ट्रेवल एजेंसी का नाम, सम्पर्क व्यक्ति का नाम, फोन/मोबाइल नम्बर, ई-मेल एवं कार्यालय का पता (लखनऊ में), फर्म का पैन कार्ड, जीएसटीएन, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन (यदि हो तो) की छाया प्रति संलग्न करें और फर्म के अनुभव (न्यूनतम 3 वर्ष) के बारे में सूचना संलग्न करनी चाहिए।
6. वित्तीय बिड (अनुलग्नक - II) में रेट लागू शुल्कों एवं करों सहित देना है, जैसे जीएसटी कर आदि।
7. वित्तीय बिड केवल उन बिडर की खोली जायेगी जो कि तकनीकी बिड में योग्य पाये जायेंगे।
8. सेवाओं का मूल्य लगभग रुपये 3.00 लाख प्रति वर्ष है और वास्तविक आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक हो सकती है।
9. कोट की गयी दरों में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए कि बोलीदाता द्वारा कोटेशन में दर्शायी गयी राशि में तत्समय लागू समस्त कानूनों (यथा जीएसटी आदि) द्वारा अध्यारोपित समस्त देयों को शामिल कर लिया गया है। यदि जीएसटी आदि नियमों का पालन नहीं किया जायेगा तो संबंधित संस्था को दिया गया कार्यदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
10. कोट की गयी दर में अनिवार्य रूप से जीएसटी अनुलग्नक - II के कॉलम में दर्शाया जाए।
11. वार्षिक सेवा अनुबन्ध, कार्यादेश की तिथि से प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, कार्य संतोषजनक पाये जाने पर एवं हडको क्षेत्रीय कार्यालय के आदेशानुसार वार्षिक सेवा अनुबन्ध को अधिकतम और 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। सेवा संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में हडको द्वारा एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।

12. स्वीकृति के लिए कोटेशन की वैधता अवधि कार्य आदेश की तिथि से एक वर्ष के लिए होनी चाहिए। कम वैधता वाली कोटेशन मान्य नहीं होंगे। हडको कोटेशन की वैधता अवधि के दौरान किन्हीं भी कारणों से लागत/मूल्य में वृद्धि के लिए अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगा।
13. निविदा खोलने की तिथि के पश्चात् किसी भी संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा।
14. देर से प्राप्त कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक द्वारा हुई किसी भी देरी के लिए हडको उत्तरदायी नहीं होगा।
15. सफल एजेंसी/बिडर को कार्यदेश की सहमति पत्र प्रस्तुत करने के समय रुपये 5,000.00 सेक्योरिटी डिपोजिट हेतु हडको लिमिटेड के पक्ष में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा।
16. बोलीदाता को कोटेशन प्रस्तुत करने से पहले हडको की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए एवं यदि किसी भी सूचना/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो उस मामले में वह हडको के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में कार्य दिवसों के दौरान (सोमवार से शुक्रवार प्रातः 09.30 बजे से शाम 6.00 बजे के बीच) सम्पर्क कर सकते हैं। यह नोट कर लिया जाए कि कोटेशन प्राप्ति की अंतिम तिथि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी सूचना/स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।
17. बोली दाता को अपने संगठन, अनुभव और पहले से सेवा प्रदान कर रहे संस्थाओं की सूची के बारे में सूचना संलग्न करनी चाहिए ताकि उनके द्वारा किये गये कार्य की गुणवत्ता का पता चल सके। बोली दाता को अपनी संस्था के संबंध में जीएसटी आदि का विवरण आवश्यक रूप से संलग्न करना चाहिए।
18. कोटेशन दिनांक **10.03.2023 को अपराह्न 4.00 बजे** हडको क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ (बिन्दु संख्या-1 में दिये गये पते पर) में खोली जाएगी। बोलीदाता के प्रतिनिधि, यदि अपेक्षित हों, तो निविदा खोलने के समय उपस्थित हो सकते हैं।
19. हडको के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी कोटेशन को स्वीकार या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
20. यदि ठेकेदार/एजेंसी निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तावित कार्य मदों/सेवाओं की आपूर्ति नहीं करता है तो उसके मद (दों)/सेवाओं के मूल्य की कुल लागत के न्यूनतम 5 प्रतिशत के अनुसार उसे अनुमोदित कोट की गयी दरों की उक्त अवधि या उसके किसी भाग की अनुपातिक राशि की दर से जो अधिक हो, परिनिर्धारित नुकसान अदा करना होगा। यदि, एजेंसी/ठेकेदार कार्य आदेश के पूर्ण या उसके भाग को पूरा नहीं करता है, तो बयाना/जमानत राशि, हडको द्वारा निर्धारित किये गये नियमानुसार पूर्ण या उसके भाग को जब्त कर लिया जाएगा।
21. यदि किसी भी समय हडको में प्राप्त वाहन को विनिर्दिष्ट/विनिर्देश के साथ मेल नहीं खाते या हडको के आवश्यकतानुसार असंतोषजनक पाये जाते हैं, तो सेवाओं को रद्द/बन्द कर दिया जाएगा तथा भुगतान के लिए आगे के बिलों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
22. एजेंसी को, यदि आवश्यक हुआ तो अवकाश की अवधि/दिनों में (कार्यालय के प्रशासन के निर्देशों के अन्तर्गत) अपनी ड्यूटी देनी होगी।
23. सेवाएं वास्तव में अनुलग्नक - III में बताये गए विनिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए।
24. एजेंसी का लखनऊ में अपना कार्यालय होना चाहिए।
25. कार्य के दौरान किसी भी कारणवश, दुर्घटना के लिए हडको जिम्मेदार नहीं होगा।
26. एजेंसी को टैक्सी/वाहन के वाहन चालक कर्मियों के पहचान पत्र हेतु वैलिड मोटर वाहन/एलएमवी का लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड इसके अतिरिक्त यदि हो, तो उसके पास ड्यूटी के दौरान मौजूद रहना चाहिए।
27. एजेंसी को टैक्सी/वाहन के वाहन चालक कर्मियों कार्य के दौरान वर्दी एवं पहचान पत्र (पहचान पत्र में एजेंसी का नाम, पता, फोन एवं मोबाइल नम्बर, कर्मियों का फोटो, घर का पता एवं मोबाइल नम्बर) के साथ होना चाहिए।
28. एजेंसी के प्रतिनिधि को आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय में उपस्थित होना होगा।
29. एजेंसी को टैक्सी/वाहन आवश्यकता पड़ने पर टैक्सी/वाहन को तुरंत उपलब्ध कराना होगा, इस क्रम में एजेंसी को हडको से भुगतान हुआ हो या न हुआ हो।
30. एजेंसी को भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से बिल देने के पश्चात् किया जाएगा।

31. एजेंसी को वार्षिक सेवा अनुबन्ध के अन्तर्गत टैक्सी/वाहन चालक को सेवा देने हेतु बताये गये समय व स्थान पर पहुंचना होगा।
32. एजेंसी द्वारा सेवा संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में हडको द्वारा एक माह का नोटिस देकर वार्षिक सेवा अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है।
33. हडको द्वारा वार्षिक सेवा अनुबन्ध/कार्यादेश देने से पहले हडको के अधिकारी/कर्मचारी आपके लखनऊ स्थिति कार्यालय में आपके द्वारा किये जा रहे कार्य, जीएसटी से संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण व पूछ-ताछ/जांच-पड़ताल कर सकते हैं, जिन्हे आपको उपलब्ध कराना होगा।
34. एजेंसी के टैक्सी/वाहन चालक कार्यालय में वार्षिक सेवा अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्य करने के दौरान कार्यालय की आंतरिक अधिकारिक बातों/सूचना/दस्तावेजों को बाहरी लोगों के साथ साझा/खुलासा नहीं करेंगे।
35. एजेंसी द्वारा वार्षिक सेवा अनुबन्ध के अन्तर्गत दी जाने वाली टैक्सी/वाहन के ड्राइवर/चालक के पास वैलिड मोटर वाहन/एलएमवी का लाइसेंस होना चाहिए।
36. एजेंसी को निर्धारित समय और स्थान पर वाहन को उपलब्ध करने में देरी के मामले में जुर्माना रुपये 50.00 प्रति 15 मिनट की देरी पर लगाया जाएगा। इसके अलावा यदि वाहनों की मांग की जाती है और यह निर्धारित समय और स्थान तक नहीं पहुंचता है तो हडको खुले बाजार से दूसरे वाहन को काल करने के लिए स्वतंत्र होगा और इस खाते के व्यय का भुगतान लंबित बिल/सुरक्षा आदि से किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक ऐसी चूक के लिए जुर्माना रुपये 500.00 लगाया जाएगा।
37. इसके अतिरिक्त यदि एजेंसी के वाहन चालक एक महीने में दो स्थानों पर निर्धारित समय पर ड्यूटी के लिए किसी भी कारणवश रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकता है और सुरक्षा जमा को ज़ब्त किया जा सकता है। यदि एजेंसी किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करती है तो संपर्क भी रद्द हो जाएगा।
38. इस वार्षिक सेवा अनुबन्ध के तहत उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की घटना, विवाद, या मतभेद का निपटारा भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996) के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्रीय प्रमुख/कार्यकारी निदेशक, हडको, लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ (Sole Arbitrator) द्वारा किया जाएगा, जिनका निर्णय (Award) एजेंसी एवं हडको पर बाध्यकारी होगा।
39. इस वार्षिक सेवा अनुबन्ध के तहत उत्पन्न विवाद के सभी मामलों के निपटान का केवल लखनऊ स्थित न्यायालय को क्षेत्राधिकार होगा।

सधन्यवाद,

भवदीय,



(रत्न प्रकाश)

संयुक्त महाप्रबन्धक (वित्त)

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हडको) लखनऊ

अनुलग्नक - I

तकनीकी बिड

क. सं.	आवश्यक दस्तावेज़	विवरण
1	फर्म/एजेंसी/कम्पनी का नाम, सम्पर्क व्यक्ति का नाम, फोन/मोबाइल नम्बर, ई-मेल, फैक्स नम्बर एवं कार्यालय का पता (लखनऊ में) :	
2	फर्म/एजेंसी/कम्पनी का पैन कार्ड संख्या (छाया प्रति संलग्न करें)	
3	जीएसटी का रजिस्ट्रेशन संख्या (छाया प्रति संलग्न करें)	
4	एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन संख्या (यदि हो तो) (छाया प्रति संलग्न करें)	
5	फर्म/एजेंसी/कम्पनी के <u>न्यूनतम 3 वर्ष के</u> <u>अनुभव</u> के संबंध में (दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करें)	
6	आरटीजीएस हेतु बैंक एकाउंट का विवरण : (बैंक अकाउंट का नाम, बैंक अकाउंट नम्बर, बैंक का नाम, बैंक ब्रांच का नाम, बैंक का फोन नम्बर, बैंक का पता, अकाउंट का प्रकार, बैंक एमआईसीआर कोड एवं बैंक आईएफएससी कोड)	
7	सफल एजेंसी/बिडर को कार्यदिश की सहमति पत्र प्रस्तुत करने के समय सेक्योरिटी डिपोजिट हेतु रुपये 5,000.00 हडको लिमिटेड के पक्ष में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा। (स्वीकार है/स्वीकार नहीं है)	
8	इसके अतिरिक्त यदि कोई और जानकारी हो, तो उसको भी संलग्न करें।	

घोषणा:

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सबसे सही है।

एजेंसी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
एवं एजेंसी की मुहर

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हडको) लखनऊ
अनुलग्नक - II

वित्तीय बिड

क. सं.	वाहन के प्रकार	स्थानीय 08 घंटे एवं 80 किलोमीटर	अतिरिक्त घंटे	अतिरिक्त किलोमीटर	आउट स्टेशन चार्जिंग प्रति किलोमीटर	न्यूनतम यात्रा आउट स्टेशन (किलोमीटर में)	रात्रि चार्जिंग	रेलवे स्टेशन से लाने और ले जाने का चार्ज	(राशि रुपये में) हवाई अड्डे से लाने और ले जाने का चार्ज
1	इंडिगो (एसी)								
2	इनोवा (एसी)								
3	इनोवा किस्टा (एसी)								
4	होंडासिटी (एसी)								
5	स्वीफ्ट डिजायर / इटियोस - (एसी)								
	जीएसटी चार्जिंग								

एजेंसी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
एवं एजेंसी की मुहर

दिनांक
स्थान:

नोट : कृपया टेन्डर की शर्तों को पूर्णतया पढ़ने के पश्चात समस्त वांछित सूचनाओं सहित उपरोक्त प्रपत्र में भरकर कार्यालय में रखे टेन्डर बाक्स में निर्धारित समय पर तथा उससे पूर्व डालने का कष्ट करें। अपूर्ण निविदा निरस्त की जा सकती है।

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हडको) लखनऊ

अनुलग्नक - III

क. सं.	कार्यालय में प्रस्तावित कार्य	कार्य का विवरण
1.	हडको क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में आवश्यकता पड़ने पर ट्रेवल एजेंसी को टैक्सी/वाहन उपलब्ध कराना।	हडको क्षेत्रीय कार्यालय में अधिकारिक उपयोग के लिए टैक्सी/वाहन की आवश्यकता पड़ने पर दिये गये समय एवं स्थान पर ठीक समय पर पहुंचना चाहिए, साथ ही टैक्सी/वाहन एवं सीट कवर का साफ-सुथरा होना चाहिए एवं टैक्सी/वाहन का एसी/ब्लोअर ठीक कार्य कर रहा होना चाहिए।

एजेंसी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
एवं एजेंसी की मुहर